न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –38/2016 जिला दौसा

1. रूडाराम पुत्र भौरिया (दौरान अपील फौत)
1/1 रामकिशन पुत्र स्व. श्री रूडाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियन्ता बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 10.7.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 10.7.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.7.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार :–

यह कि अपीलान्ट रूडाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बादीकुई, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि रामा बसवा 'ए', तहसील बसवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2283 तथा 2236 की नई नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाकर विवादित भूमि पर उसके कब्जे की स्थिति एवं सैटिलमेन्ट सम्वत 2045–50 से पूर्व के नक्शा शीट में दर्ज उनके पूर्व खसरा नम्बरान 4262 तथा 4222 लगायत 4226 की स्थिति के अनुसार दुरूस्त किया जाकर इन्द्राजात दर्ज किया जावे एवं विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि से उसे जबरन बेदखल नहीं किया जावे तथा भूमि उसके कब्जे इस्तेमाल में माने ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के इस प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा प्रार्थी ने नक्शा दुरूस्ती चाहे जाने , तहसील भवन बसवा विधिवत सक्षम न्यायालय द्वारा की गई भूमि अवाप्ति शुदा पर काबिज होने एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई दुरूस्ती बाबत पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 10.7.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं जांच की जाकर पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश ही नहीं किया । राजस्व लोक अदालत की भावना नीति रीति के विरूद्ध कयास के आधार पर कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित

नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब बन्द किये, बिना राजस्व रिकार्ड की जॉच किये, तनकी नहीं बनाये, साक्ष्य नहीं लिये ओर मनमाना आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.9.15 को अधीनस्थ न्यायालय में पेशी पर जाने पर हुई ओर निर्णय की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण उन्हें सुनवाई एवं जॉच की जाकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा तहसील भवन बसवा विधिवत सक्षम न्यायालय द्वारा की गई भूमि अवाप्ति शुदा पर काबिज होने एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई दुरूस्ती बाबत पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवाद रामा बसवा 'ए', तहसील बसवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2283 तथा 2236 की नई नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाकर विवादित भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे की स्थिति एवं सैटिलमेन्ट सम्वत 2045–50 से पूर्व के नक्शा शीट में दर्ज उनके पूर्व खसरा नम्बरान 4262 तथा 4222 लगायत 4226 की स्थिति के अनुसार दुरूस्त किये जाने का है । इस बाबत अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा इस आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया है कि तहसील भवन बसवा विधिवत सक्षम न्यायालय द्वारा की गई भूमि अवाप्ति शुदा पर काबिज है एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई दुरूस्ती बाबत पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि धारा 136 का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है जिसके अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। जमाबन्दी संवत 2062–65 ग्रमा बसवा ए के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 2236 रकबा 1.5800 गै.मु.तहसील एवं खसरा नम्बर 2283 रकबा 0.9100 गै.मु.सडक दर्ज है । विवादित भूमि पर अपीलान्ट कब्जे की स्थिति एवं सैटिलमेन्ट सम्वत 2045–50 से पूर्व के नक्शा शीट में दर्ज उनके पूर्व खसरा नम्बरान 4262 तथा 4222 लगायत 4226 की स्थिति के अनुसार नई नक्शा शीट को धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत दुरूस्त कराया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात दर्ज कराना चाहता है , जो धारा 136 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा प्रार्थी ने नक्शा दुरूस्ती चाहे जाने , तहसील भवन बसवा विधिवत सक्षम न्यायालय द्वारा की गई भूमि अवाप्ति शुदा पर काबिज होने एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई दुरूस्ती बाबत पत्रावली में ऐसा कोई

दस्तावेज पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया है । हम अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 10.7.2015 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 10.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जयपुर